सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-02/2025/190/90-सं0शि0प0का0/2025-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-28 फरवरी, 2025**

विषय- माननीय संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय-समय पर स्वत: स्पष्ट विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में माननीय सदस्यों के फोन कॉल के विषय में शासनादेश संख्या-02/2021/311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-23-03-2021, 11-11-2021, 14-06-2022, 03-02-2023, 04-08-2023, 08-08-2023 एवं दिनांक-03-10-2023 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

2- उपर्युक्त विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है, किन्तु इसके उपरान्त भी शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों के विभिन्न अधिकारियों द्वारा विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के फोन नही उठाये जा रहे हैं और न ही कॉल बैक की जा रही है, जिसके संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा यह बिन्दु माननीय सदन एवं माननीय संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठकों में उठाये जाने पर शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि अत्यंत खेदजनक है।

3- अत: इस सम्बन्ध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि उक्त संदर्भित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त अधिकारीगण माननीय संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के सी0यू0जी0 नंबर अथवा उनके द्वारा नोट कराये गये अन्य मोबाईल नंबर को अनिवार्य रूप से अपने मोबाईल में संरक्षित (Save) करेंगे तथा उनकी कॉल आने पर उसे 'रिसीव' करेंगे। बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर माननीय जनप्रतिनिधि को मैसेज के साथ ही यथाशीघ्र कॉल बैक करेंगे तथा उनसे प्राप्त प्रकरणों को निस्तारित करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अवगत करायेंगे। इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2025/190(1)/90-सं0शि0प0का0/2025 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गौरव कुमार
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।